

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन(राज.)

वादीगण	ब ना म	प्रतिवादीगण
हनुमानराम पुत्र नन्दाराम जाति गुर्जर निवासी टोरड़ा तहसील कुचामन सिटी		दीपक पुत्र बक्षाराम जाति गुर्जर निवासी टोरड़ा तहसील कुचामन सिटी वगैराह

राजस्व वाद-पत्र = दावा इस्तकरार हक, भू-विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद-पत्र नम्बर = 5 /2025 GCMS No.2025/ 111

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

19.03.2025 वकील वादीगण द्वारा यह दावा इस्तकरार हक, भू-विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रतिवादीगण के विरुद्ध पेश किया। वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड एडी सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक.. 23/4/25 पेश हो।

23/4/25
23/4/25

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

23/4/25 वकील वरिष्ठ प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन पेश कर पत्रावली दिनांक 28/5/25 को पेश है।

27/05/2025 वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र जरिए विरुद्ध वाद पत्र खारिज करने का प्रस्ताव पेश करने पर पत्रावली प्राप्त तलब की गयी। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया कारखाने के परम होगा है प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वाद पत्र जरिए विरुद्ध खारिज किया जाता है। पत्रावली केसब सुभार होकर नजर से काम होकर शीघ्र दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)



गाम 2/3

23/5